न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/200/2019	2019/00619	28.11.2019	07.06.2022

01. शमशेर पुत्र दीना जाति मेव निवासी ग्राम खेड़का तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलांट

बनाम

01. सरकार जरिये नायब तहसीलदार अलवर जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार अलवर दिनांक 23.09.2019 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 23/2019

उपस्थितः— कोई उप0 नहीं।

—:निर्णयः—

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 23.09.2019 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम खेड़का के संवत 2076 हाल खसरा नम्बर 249 रकबा 3.45 है0 किस्म गै0मु0पहाड (सिवायचक बिला लगानी) में से 0.01 है0 भूमि पर अवैध कब्जा करने पर की बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम खेड़का के संवत 2076 हाल खसरा नम्बर 249 रकबा 3.45 है0 किस्म गै0मु0पहाड (सिवायचक बिला लगानी) में से 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने की पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 12.09.2019 को अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बिना बेदखली व पैनल्टी से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चामवर्ति नहीं माना है व पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 23.09.2019 अपास्त फरमाया जावें।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 23.09.2019 के विरूद्ध दिनांक 28.11.2021 को पेश किया। जो करीब 2 वर्ष 2 माह के विलम्ब से पेश किया गया है। फिर भी न्यायहित में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। उभय—पक्ष अनु0। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 28.11.2021 को भी विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत सरपंच ग्रम पंचायत अकबरपुर पं0स0 उमरैण अलवर का पत्रांक 11/19 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा सरपंच ने विवादित आराजी पर तारबन्दी जलशक्ति अभियान के तहत मनरेगा व एफएफसी योजना के तहत करवाई गयी थी। जिस पर अपीलांट का कब्जा हटवाने का निवेदन किया है साथ ही सरपंच ग्राम पंचायत अकबरपुर द्वारा पत्रांक 13/19 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा भी अपीलांट द्वारा एक झोपडी तथा भैंस बांधकर नया अस्थाई अतिक्रमण करना बताया है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार अलवर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिव प्रसाद नकाते)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर